

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संशोधित

क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2021/426

भोपाल, दिनांक 30/03/2021

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।

विषय:- कोविड-19 पॉजीटिव प्रकरणों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रबंधन संबंधी संशोधित निर्देश।
संदर्भ:- 1.संचालनालयीन पत्र क्र./आई.डी.एस.पी./2021/420 भोपाल दिनांक 30/03/2021
2.संचालनालयीन पत्र क्र./आई.डी.एस.पी./2020/1597 दिनांक 14/09/2020

विषयांतर्गत लेख है कि माह मार्च 2021 के मध्य से प्रदेश में पुनः कोविड-19 पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित हो रही है। दिनांक 24/03/2021 की स्थिति में प्रदेश में लगभग कोविड-19 के 10,000 एक्टिव केस प्रतिवेदित है। यह साक्ष्य आधारित है कि समय के बीतने पर धीरे-धीरे वायरस की प्राकृतिक बदलावों के चलते रोग की तीव्रता एवं गंभीरता (Disease intensity and severity) में प्रायः कमी पाई जाती है। ज्ञातव्य हो कि वर्तमान परिस्थिति में कोरोना वायरस की संक्रामकता में यद्यपि वृद्धि होना परिलक्षित है परन्तु रोग की तीव्रता एवं मृत्यु दर में अनुपातिक बढ़ोतरी होना नहीं देखा गया है।

प्रदेश में कोविड-19 के प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि उपलब्ध ऑक्सीजन तथा वेन्टिलेटर बेड्स का समुचित उपयोग हो। उपचार उपरान्त, कोविड-19 के स्थिर रोगियों (Stable Patients) को लंबी अवधि तक द्वितीय/तृतीय स्तरीय कोविड अस्पतालों में भर्ती रखे जाने से जहां एक ओर सीमित साधनों का अनावश्यक उपयोग होता है, वहीं दूसरी मध्यम/गंभीर लक्षण वाले जरूरत मंद रोगियों को बेड उपलब्ध कराने में कठिनाई हो सकती है। बड़े जिलों में जहां चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है वहां बेड उपलब्धता की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए होम आईसोलेशन पर कोविड रोगियों की निगरानी हेतु निर्णय चिकित्सकीय विवेक अनुसार लिया जा सकता है।

कोविड-19 के वर्तमान Disease manifestation एवं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर तथा डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों के बेहतर उपयोग हेतु निम्नानुसार निर्देशित है:-

1. होम आईसोलेशन तथा अप-रेफरल मापदण्ड

Home Isolation*	Up referral to DCHC	Up referral to DCH
<ul style="list-style-type: none"> • Asymptomatic cases • Mild Symptomatic COVID Positives. • Age < 60 y • Age > 60 y with no co-morbid conditions • All members affected in a household • All stable cases (irrespective of age) on medication having previous history of Diabetes/ HTN/ Heart Disease/ Chronic Kidney/Liver/Lung diseases as per discretion & clinical advice of treating physician. 	<ul style="list-style-type: none"> • Age > 60 with co-morbidities with symptoms • Pregnant COVID positives • Persistent severe cough • Breathlessness • Temperature > 101° F despite antipyretics • Pulse > 120 / min • Respiratory Rate > 24 /min • SPO2 < 94% • SBP < 100 mm or DBP < 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • SPO2 <=90% at room air • Respiratory Rate >30/min • SBP < 90 mm or DBP < 50 mm • Neutrophil : Lymphocyte Ratio (NLR) >=3.5 • Increase or rising titres of CRP. • Associated Critical Comorbidity • Chest X-ray showing >35% involvement with lobar/multi lobar bilateral lung consolidation • CT Chest multi lobe distribution with GGO, Crazy paving, Consolidation of air Spaces • Symptoms/signs of Septic Shock after Initial fluid load • Symptoms/signs of Venous Thromboembolism- only after stat dose of LMWH/Heparin
*Facility Isolation in cases where home isolation is not feasible.		

2. होम आईसोलेशन में निवासरत रोगियों हेतु रेड फ्लैग साईन

A COVID Positive patient should be in Home Isolation only if all answers to the questions below are – NO (Red FLAGS)	
History	On Examination:
Persistent cough in last 1 week : Yes / No	Temperature > 101° F despite antipyretics
High grade fever: Yes / No	Pulse > 120 / min: Yes / No
Breathlessness : Yes / No	Respiratory Rate > 24 /min: Yes / No
Complaints of Lethargy/Mental confusion : Yes / No	SBP < 90 mm or DBP < 50 mm: Yes / No
History of loss of consciousness/Syncope : Yes/No	Oxygen saturation measured by Portable Pulse Oxymeter < 94%: Yes / No

3. होम आईसोलेशन की निगरानी हेतु किट

- होम आईसोलेशन के निवासरत कोविड पॉजीटिव रोगियों की दैनिक निगरानी जिला स्तर पर स्थापित District COVID Command and Control Center द्वारा सुनिश्चित की जाये।
- होम आईसोलेशन में रह रहे रोगियों को i) e-list and address of Fever clinics ii) e-list and contact details of DCHC iii) e-list and contact details of DCH iv) e- list and contact details of COVID-19 hospitals providing treatment on payment तथा v) e-list of contact persons for notifying symptoms if condition is worsening डिजीटली उपलब्ध कराई जाये।
- होम आईसोलेशन में रहने वाले कोविड ग्रस्त रोगियों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि आईसोलेशन अवधि के दौरान आवश्यक औषधियां समस्त रोगियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी तथा संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा होम आईसोलेशन की अनुमति देते समय रोगी/उसके परिजन को उपलब्ध कराई जायेगी।
- होम आईसोलेशन के दौरान औषधियों के अतिरिक्त निम्न आवश्यक चिकित्सकीय संसाधन रोगी के पास उपलब्ध रहें।

i. Digital Thermometer	1
ii. Pulse Oxymeter	1
iii. Surgical Masks.	20 Pieces
iv. Tab Azithromycin 500 1OD x 5.	5 Tabs
v. Tab Multivitamin I BD x 10 days.	2 Strips of 1x10 Tabs
vi. Tab Cetrizine 10 mg x 10 (For SOS use).	1 Strip of 1x10 Tabs 2
vii. Tab Paracetamol 500 mg 1 BD x 10 (For SOS use).	Strips of 1x10 Tabs 2
viii. Tab Ranitidine 150 mg 1 BD x 10.	Strips of 1x10 Tabs 1
ix. Tab Zinc 20 mg 1 OD x 10.	Strip of 1x10 Tabs
x. Tab Vit. C 1000 mg x 10.	1 Strip of 1x10 Tabs
xi. Any other medicines prescribed by the treating clinician and medicines for co-morbid illnesses	

4. होम आईसोलेशन में निवासरत रोगियों हेतु नैदानिक सुझाव

Suggested laboratory investigations on advise of Home Isolation by treating physician	CBC
	RBS
	S. Creatinine
	RFT
	LFT
	CRP
	ECG
	Chest X-Ray


5. होम आईसोलेशन अवधि की समाप्ति

होम आईसोलेशन में निगरानी बद्ध व्यक्ति द्वारा लक्षण उत्पत्ति दिनांक/सैम्पल दिनांक से विगत 10 दिनों से लक्षण रहित होने तथा 3 दिनों से बुखार रहित होने पर होम आईसोलेशन अवधि समाप्त की जाये। तत्पश्चात आगामी 7 दिवस तक उक्त व्यक्ति द्वारा घर पर अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी सुनिश्चित की जाये।

6. "डाउन ट्रांसफर" हेतु मापदण्ड

- यदि भर्ती रोगी को बुखार न हो एवं बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के ऑक्सीजन सेचुरेशन 95% से अधिक हो तो, ऐसे स्थिर रोगियों को चिकित्सा महाविद्यालयीन डेडिकेटेड कोविड अस्पताल (DCH) से संस्था के (DCHC) अथवा जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर (DCHC) में "डाउन ट्रांसफर" करने का निर्णय चिकित्सकीय दल द्वारा रोगी के स्थिति के पूर्ण आंकलन के उपरान्त लिया जा सकता है।
- DCH एवं DCHC एक ही संस्था में होने की स्थिति में रोगी का अंतरण का निर्णय उपचार करने वाले चिकित्सकों के द्वारा ली जा सकती है।
- DCHC अन्य जिले अथवा जिले के अन्य शहर में स्थित होने पर रोगियों का चिकित्सकीय सलाह पर "डाउन ट्रांसफर" करते समय सर्वथा बेसिक लाईफ सपोर्ट एम्बुलेन्स का उपयोग किया जाये एवं डेस्टिनेशन अस्पताल को ट्रांसफर संबंधी पूर्व सूचना अनिवार्यतः दी जाये।
- डाउन ट्रांसफर संबंधी सांकेतिक तालिका **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है। इस संबंध में अंतिम निर्णय चिकित्सकीय आंकलन अनुरूप उपचार करने वाले चिकित्सक का होगा।


अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित


(डॉ. संजय गोयल)
आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश


क्रमांक/आई.डी.एस.पी/2021/429
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ।

भोपाल, दिनांक 30/03/2021


1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, म.प्र।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
7. समस्त जिला सर्वेलेन्स अधिकारी, म.प्र।
8. समस्त जिला एपीडिमियोलॉजिस्ट/डाटा मैनेजर, म.प्र।
9. प्रभारी, कोविड-19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।


आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

Revised Down Transfer Criteria From DCH to DCHC (If both are co-located)



If Down Transfer facility is not co-located

<ul style="list-style-type: none">• Absence of fever for last 3days.• SPO2 > 95% without O2 support for 4 days.• Resolution of clinical symptoms.		Transfer only in basic life support Ambulance
--	--	---